<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–816/2026</u>
बड़हरिया थाना कांड सं0–108/2026 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 351(3), 352, 3(5) बी0एन0एस0
एवं धारा–3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

जागा तिवारी उर्फ डागा तिवारी व अन्य...................................... आवेदकगण/अभियुक्तगण
बनाम
बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक .... विपक्षी

उपस्थितः–श्री निर्भय कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

<u>आ–दे–श</u>

<u>20.05.2026</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. जागा तिवारी उर्फ डागा तिवारी 2. नन्हें तिवारी की ओर से बड़हरिया थाना कांड संख्या 108/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 351(3), 352, 3(5) बी.एन.एस.एस. एवं धारा–3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

जमानत आवेदन सुनवाई के समय विपक्षी पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित है किन्तु बार–बार पुकार करने पर भी आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख अवलोकन किया, जिससे विदित है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.02.2026 को दाखिल किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को विगत तिथि 04.05.2026, 11.05.2026, 14. 05.2026 को भी संचालन वो सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को इस अग्रिम जमानत आवेदन के संचालन वो सुनवाई में कोई रूची नहीं रह गयी है। तद्नुसार, विचारोंपरान्त यह जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।